न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 75/2005 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. ओमप्रकाश पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी ग्राम जैनाबाद तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा

:––––– अपीलांट वादी

बनाम

1. मु0 सावित्री बेवाह रामोतार
2. बबलू पुत्र रामोतार
3. कालिया उर्फ सतीश पुत्र रामोतार
4. पप्पू पुत्र रामोतार
5. लाली पुत्री रामोतार
6. बबीता पुत्री रामोतार

   जाति जांगिड ब्राहमण निवासीयान ग्राम सातपुरा बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर नाबालिगा सरपरस्त माता सावित्री बेवाह रामोतार जाति जांगिड ब्राहमण
7. ओमप्रकाश पुत्र जगमाल जाति यादव निवासी बावद सातपुरा
8. देशराज पुत्र जगमाल
9. बजरंग पुत्र जगमाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

10. हनुमान पुत्र जगमाल

11. सतसीश पुत्र जगमाल

12. सुनील पुत्र जगमाल

13. रिंकू पुत्र ग्यारसा

जाति यादव निवासीयान ग्राम सातपुरा बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

14. जगमाल पुत्र श्योलाल जाति यादव निवासी बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

15. नीलम जैन पत्नि विजय जैन जाति महाजन निवासी 260/1, आदर्श नगर, न्यू रेल्वे रोड, गुडगांवा हरियाणा

:------ रेस्पो0 प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर

दिनांक 28.7.2005

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री परमानन्द मेहरा

2. वकील रेस्पो0 :— श्री विजयसिंह राठौड

निर्णय दिनांक 20.2.2017

---

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा मुकदमा नम्बर 01/2005 (विविध प्रार्थना पत्र) में पारित निर्णय दिनांक 28.7.2005 के खिलाफ है,जिसके द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी0 पी0 सी0 व धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया गया है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी ने तहत न्यायालय में एक वाद पत्र पेश किया था, जो दिनांक 1.7.2004 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया था । इस वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लेने हेतु वादी प्रार्थी ने तहत न्यायालय में आदेश 9 नियम 9 सी0 पी0 सी0 एवं दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया था कि वादी दिनांक 1.7.2004 की तारीख पेशी के रोज अस्वस्थ हो गया था, इस कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो सका था । स्वस्थ होने पर वकील से वस्तुस्थिति की जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लिया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र यह कहते हुये खारिज किया है कि वादी अपने वाद पत्र के प्रति गम्भीर नहीं है तथा प्रार्थन पत्र विलम्ब से पेश किया है । तहत न्यायालय ने उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विद्वान तहत न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4. जवाब में विद्वान वकील अपीलांट ने बताया कि वादी अपीलांट का वाद पत्र पूर्व में भी दिनांक 25.6.97 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया था, जिसे लगभग 5 साल बाद पुनः पर लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया था । इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी अपीलांट अपने वाद पत्र के प्रति गम्भीर नहीं है । अब जो प्रार्थना पत्र वाद पत्र को नम्बर पर लेने का दिया गया था, वो भी मियाद बाहर पेश किया गया था और देरी का संतोषजनक कारण भी नहीं बताया था । इस प्रकार साबित है कि वादी अपीलांट अपने वाद पत्र के प्रति कतई गम्भीर नहीं है । विद्वान तहत न्यायालय ने सही तौर पर प्रार्थना पत्र खारिज किया है । निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । अपीलांट प्रार्थी ने तहत न्यायालय में देरी से प्रार्थना पत्र पेश करने का मुख्य कारण यह बताया है कि वह बीमार हो गया था, इसलिये तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका था । विद्वान तहत न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 देरी से पेश किये जाने के कारण खारिज किया है । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर लिबरल व्यू अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करना चाहिये । अतः अपीलांट प्रार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विश्वास करते हुये तथा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी0 पी0 सी0 अन्दर मियाद शुमार किया जाकर स्वीकार किया जाता है । लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है ।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.7.2005 निरस्त किया जाता है तथा तहत न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वो वाद पत्र को नम्बर पर लेकर उभयपक्ष की सुनवाई व साक्ष्य ली जाकर वाद पत्र का निर्णय गुणावगुण पर करें । उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 20.3.2017 को उपस्थित हों ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner